न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0) (15)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्याः– 193/प्रा0पत्र/2019

1. भगवान सिंह आयु 66 वर्ष आ0 श्री गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी हिण्डोली, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
2. विश्वनाथ प्रताप सिंह आयु 36 आ0 श्री शिवनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी हिण्डोली, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
3. श्रीराज सिंह आयु 30 वर्ष आ0 श्री शिवनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी हिण्डोली, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
4. पुष्पकंवर आयु 70 वर्ष पत्नी स्व0 श्री शिवनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी हिण्डोली, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. हेमराज सिंह आयु 52 वर्ष आ0 श्री छीतरसिंह जाति राजपूत
2. राजेन्द्र सिंह आयु 45 वर्ष आ0 श्री छीतरसिंह जाति राजपूत
3. सज्जन कंवर आयु 75 वर्ष पत्नी श्री छीतर सिंह जाति राजपूत निवासीगण हिण्डोली, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
4. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार सा0 हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 251 (क) आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :– 29/09/2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 2214 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 2217/1 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 की खतोनी संख्या 474 में प्रार्थी भगवान सिंह की खातेदारी में दर्ज है। कृषि भूमि खसरा संख्या 2211 रकबा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 2212 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 की खतोनी संख्या 474 मे है जो प्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमिया एक दूसरे की भूमियों से मिली हुई है और प्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नही है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 2210 में रास्ते की घोषणा करवाना चाहते है। भूरिया खाल के पास पुराने एन.एच. 12 सडक से एक आम रास्ता (पक्की सडक) पाल बाग पर आने हेतु बनी हुई है। उक्त पक्की सडक से पूर्वी साईड में स्थित खसरा संख्या 2210 में होकर प्रार्थीगण की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

ने जाने हेतु पूर्व से रास्ता बना हुआ था लेकिन उक्त खसरा संख्या 2210 अप्रार्थीगण (16)
खातेदारी में होने के कारण अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते के स्वरूप को मिटा दिया है और
र्थीगण का रास्ता पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया है पक्की सडक से खसरा संख्या
2210 में रास्ता शुरू होता है जहां पर पत्थर का कोट लगाकर रास्ता अवरूद्व कर दिया है
जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमियों पर नही आ पा रहे है तथा रास्ता बन्द कर देने से
प्रार्थीगण की भूमि का रास्ता पूर्ण रूप से बन्द हो गया है। इस कारण प्रार्थीगण को अपनी
खातेदारी भूमियों के उपयोग–उपभोग करने वास्ते रास्ते की आवश्यकता है और प्रार्थीगण
की भूमि पर आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से प्रार्थीगण खसरा
संख्या 2210 में रास्ते की घोषणा करवाकर रास्ते को राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाना चाहते
है। प्रार्थीगण द्वारा घोषित करवाये जाने वाले रास्ते को नजरी नक्शा परिशिष्ट"अ" में
लालस्याही से प्रदर्शित किया गया है जो आवेदन पत्र आ अभिन्न अंग है। प्रार्थी पाल बाग
जाने वाले आम रास्ता व पक्की सडक से पूर्वी साईड में स्थित खसरा संख्या 2210 में 20
फिट चौडा रास्ता प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 2212 पर आने जाने हेतु घोषित करना
चाहते है। प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 2210 में 20 फुट चौडा
रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में रास्ता दर्ज कर रास्ते की तरमीम किया जाना
न्यायोचित एवं आवश्यक है। खसरा संख्या 2210 मे रास्ते में अवाप्त की जाने वाली भूमि
की प्रतिकर राशि नियमानुसार अप्रार्थीगण को अदा करने हेतु तैयार है। रास्ता अप्रार्थीगण
की भूमि खसरा संख्या 2210 में घोषित किया जाना है और रास्ते में भूमि अप्रार्थीगण की
खातेदारी की अवाप्त होनी है रास्ते में अप्रार्थीगण की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क में बनाये गये नियमों के तहत प्रतिकर
राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करने को तैयार है। खातेदार की जोत पर आने जाने हेतु
रास्ता नही होने की सूरत में दूसरे खातेदार की भूमि पर रास्ता घोषित किये जाने के
प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में किये हुये है प्रार्थीगण उक्त प्रावधानों के तहत
रास्ता घोषित करवाने हेतु न्यायालय से अनुतोष चाहता है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है
कि प्रार्थीगण पाल बाग रोड खसरा संख्या 2208 से पूर्वी साईड पर खसरा संख्या 2210 में
20 फिट चौडा रास्ता खसरा संख्या 2212 तक घोषित करवावे एवं रास्ते में अवाप्त किये
जाने वाले रकबे को अप्रार्थीगण के खाते में से कम करवाकर रास्ते में अवाप्त की जाने
वाली भूमि पर रास्ता दर्ज करवावें तथा रास्ते की तरमीम करवावें। प्रार्थीगण अपनी भूमि की
कोर्ड करने हेतु दिनांक 01.11.2019 को अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 2210 में होकर
जाने लगे तो अप्रार्थीगण ने भूमि पर होकर निकलने से मना कर दिया तथा प्रार्थीगण को
धमकाया कि हम हमारी भूमि पर होकर तुम्हारी भूमि पर नही जाने देगे। अप्रार्थीगण द्वारा
भूमि पर आने जाने में बाधा उत्पन्न कर देने से प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का
कारण उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु नजरी
नक्शे में बताये गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। श्रीमान को उक्त
प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर
प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
पाल बाग रोड़ खसरा संख्या 2208 आम सडक से पूर्वी साईड पर स्थित अप्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

री की भूमि खसरा संख्या 2210 में पश्चिम से पूर्व की ओर खसरा संख्या 2212 तक फुट चौडा रास्ता जिसकों नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में प्रदर्शित किया है रास्ता घोषित किया जाकर रास्ते को राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जावे एवं रास्ते की नक्शे में तरमीम की जावें। तथा रास्ते में अवाप्त होने वाला रकबा अप्रार्थीगण के खाते में से कम किया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थीगण को प्रदान की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 स्वीकार नही है। प्रार्थीगण की भूमियों के मध्य खसरा संख्या 2213 अप्रार्थीगण की भूमि है जो प्रार्थीगण के चारो खेतों को अलग करती है। प्रार्थीगण को खसरा सख्या 2210 में कोई रास्ता घोषित कराने का अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में भूरिया खाल के पास से पाल बाग की ओर जाने वाली पक्की सडक बना होना स्वीकार है, शेष चरण नितान्त असत्य, मनगडन्त होने से स्वीकार नही है। वास्तविकता यह हे कि प्रार्थीगण वर्षो से अपने पूर्वजों के समय से अपने खेतों पर पाल बाग जाने वाली सडक से भूमि खसरा संख्या 2228 की दक्षिण मेड पर होते हुये खसरा संख्या 2225, 2224, 2223, 2219, 2218 व खसरा संख्या 2227, 2226, 2222, 2220 व 2216 के मध्य में बने हुये रास्ते से अपने खेतो पर आते–जाते रहे है। खसरा संख्या 2222 चाह0 तक करीब 15 फिट चौडा रास्ता बना हुआ है। उसके बाद खसरा संख्या 2219, 2218 व 2220, 2216 के मध्य की मेड पर होकर प्रार्थीगण अपने खेतों पर आते जाते रहे है। खसरा संख्या 2223, 2218 अप्राथीगण की भूमियां है। करीब 100 वर्षो से इसी रास्ते का उपयोग कर प्रार्थीगण अपने खेतों पर आते–जाते रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उक्त भूमियां आबादी के नजदीक भी स्थित है ओर प्रार्थीगण अपनी भूमियों में आवासीय कॉलोनी बनाना चाहते हैं वर्षो पुराने रास्ते से उक्त भूमियां आम सडक से दूर पडती है। इस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 2210 जो आम सडक के सहारे भी स्थित है, से जबरन रास्ता लेना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। धारा 251 क आर0टी0एक्ट के तहत उन्ही भूमियों के लिये रास्ता दिया जा सकता है जिनमें जाने के लिये रास्ता उपलब्ध ना हो। सुविधा के लिये शोर्टकट रास्ता नही दिया जा सकता है। प्रार्थीगण के पास इस चरण में वर्णित रास्ता वर्षो से उपलब्ध है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 स्वीकार नही है। रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में अप्रार्थीगण की बेशकिमती भूमि में से प्रार्थीगण को कोई रास्ता नही दिया जा सकता है क्योकि प्रार्थीगण के पास अपने खेतों में जाने के लिये जवाब प्रार्थना की चरण संख्या 4 में वर्णित रास्ता वर्षो से उपलब्ध है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 स्वीकार नही है। धारा 251 क आर0टी0एक्ट के तहत अन्य रास्ता उपलब्ध नही होने व उसका उपयोग वर्षो से प्रार्थीगण द्वारा करते चले जाने के कारण प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि से कोई रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नही है। प्रार्थीगण के पास पूर्व से ही अपने खेतों पर आने जाने का रास्ता उपलब्ध है जो जवाब प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में अंकित है इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 क आर0टी0एक्ट के तहत पोषणीय नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 स्वीकार नही है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

(18)

खसरा संख्या 2210 में कोई रास्ता तरमीम कराने के अधिकारी नही है। प्रार्थना की चरण संख्या 9 मनगडन्त व झूंठी होने से स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 स्वीकार नही है। विस्तृत उत्तर पूर्व के चरणों में दिया जा चुका है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 11 स्वीकार नही है। धारा 251 क आर0टी0एक्ट में उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 12 तकमीली है। प्राार्थना प्रार्थीगण स्वीकार नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में प्रस्तावित रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार हिण्डोली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा अपने पत्र क्रमांक :– 150/राजस्व/2020 दिनांक 05.03.2020 से रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण को उनकी भूमि खसरा संख्या 2214, 2217/1 में जाने हेतु पाल बाग रोड से होकर आराजी खसरा नम्बर 2210 रकबा 2.10 बीघा में से होकर में से नवीन रास्ता चाहा गया है। मौके पर उक्त खातेदार की भूमि में जाने हेतु रास्ता नही है। प्रार्थी अपने खाते की भूमि में आवागमन हेतु नवीन रास्ता राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। उक्त भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2210 जो हेमराज सिंह, राजेन्द्र सिंह पिता छीतर सिंह मु0 सज्जनकंवर बेवा छीतर सिंह कोम राजपूत निवासी हिण्डोली के खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है। उक्त भूमि में प्रार्थी द्वारा 20 फिट चौडा रास्ता चाहा गया है। जिसमें अप्रार्थी के खाते की भूमि खसरा संख्या 2210 रकबा 2.10 बीघा में से लगभग 4 बिस्वा भूमि रास्ते में आयेगी। उक्त रास्ता सबसे सुगम व निकटवर्ती है अन्य कोई रेकोर्डेड रास्ता नही है।

उक्त मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 18.02.2021 अन्तर्गत नियम 69 राजस्थान टीनेन्सी गर्वमेन्ट रूल्स 1955 के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रस्तुत मौका रिपोर्ट बिना मौका देखे झूंठी व गलत रिपोर्ट न्यायालय में पेश करना अंकित करते हुये आपत्ति स्वीकार की जाकर माननीय न्यायालय द्वारा स्वयं वादग्रस्त कृषि भूमियों के रास्ते के सम्बन्ध में अवलोकन करने एवं मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु मौके पर पधारने हेतु का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण की आपत्ति स्वीकार की जाकर मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 19.03.2021 को मौका निरीक्षण किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 19.03.2021 को पुनः आपत्ति पेश करने का मौका चाहकर अन्तिम बहस हेतु इंन्कारी किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 14.07.2021 को पुनः दोनों पक्षो की उपस्थिति में मौका निरीक्षण करने हेतु आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर पीठासीन अधिकारी द्वारा पुनः दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया। पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली में वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कहा कि खसरा संख्या 2214, 2217/1 ग्राम हिण्डोली पं0म0 हिण्डोली जो कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है, जिस पर आने–जाने हेतु प्रार्थीगण खसरा नम्बर 2210 में से रास्ता चाहते हे। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जावे, तरमीम की जावें। उक्त रास्ते में अवाप्त होने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

भूमि का प्रार्थीगण जो भी राशि जमा होगी वह जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थना प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर चाहा गया रास्ता घोषित किया जावें।

वकील प्रार्थीगण के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुये वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि धारा 251(क) में सबसे पहले यह देखना है कि जिन जमीनों से रास्ता मांग रहे है वहां रास्ता है या नही। वर्तमान में इनकी भूमियों में जाने हेतु हमारे जवाब में बताये अनुसार रास्ता चालू है। यह अपनी भूमियों में प्लाट काटना चाहते है। इस हेतु हमारी भूमि में से होकर नवीन रास्ता चाह रहे है। पूर्व में ही जब रास्ता चालू है तो कोई नया रास्ता नही दिया जा सकता है। इनका प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

हमने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 15.09.2021 को दोनो पक्षकारान की उपस्थिति में मय पटवारी हल्का की मौजूदगी में अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में बताये गये रास्ते व प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण किया गया जो पत्रावली में शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता बताया गया है वह पाल बाग रोड से प्रारम्भ होता है जो कि आबादी भूमि में है। आगे जिस रास्ते बाबत कथन किया गया है वह मौके पर रास्ता ना होकर खेत की मेड है जो विभिन्न खातेदारों की खातेदारी में स्थित है संलग्न मौका पर्चा से जाहिर है, जिसे रास्ता नही कहा जा सकता। धारा 251 (क) में भी आवेदक को अपनी भूमि में जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव होने पर एक नया मार्ग बनाने का अधिकार मंजूर किये जाने के नियम बने हुये है। प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह आत्यंतिक आवश्यकता है जिसे घोषित किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2214, 2217/1 ग्राम हिण्डोली पं0म0 हिण्डोली में आने जाने हेतु पाल बाग रोड आम सडक से पूर्वी साईड में स्थित अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2210 रकबा 2.10 बीघा में से 20 फिट चौडाई में खसरा नम्बर 2217/1 तक जाने हेतु रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि 4 बिस्वा भूमि बनती है, को प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकोर्ड में गैर0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज किया जावें। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि खसरा संख्या 2210 जिसकी डी0एल0सी0 दर 10,16,076/–रूपये प्रति बीघा है, जिसमें से खसरा संख्या 2210 में से अवाप्त भूमि की डी0एल0सी0 दर 2,03,216/– रूपये 4 बिस्वा की है, जिसकी दुगनी राशि 4,06,432/–रूपये इस कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (करौली)
हिण्डोली